भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4144

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2026 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन लक्ष्य

4144. श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री मनोज तिवारीः
श्री रमेश अवस्थीः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री अनन्त नायकः
श्री प्रदीप पुरोहितः
श्री दिलीप शइकीयाः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री मनीष जायसवालः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री शंकर लालवानीः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री बंटी विवेक साहूः
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा की खदानों, विशेषकर क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के योगदान सहित वर्ष 2025 के लिए 117 मिलियन टन (एमटी) के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2025 में सम्मिश्रण के लिए कोयला आयात में 54 प्रतिशत की कमी से ओडिशा और मध्य प्रदेश में कार्यरत संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए वित्तीय बचत में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए उचित मूल्य निर्धारण पर नए कोलसेतु (कोलएसईटीयू) विंडो के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेष रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले, ओडिशा के क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखंड के गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद क्षेत्रों जैसे घनी आबादी वाले खनन क्षेत्रों में वनीकरण, धूल नियंत्रण और जल संरक्षण सहित रिकॉर्ड स्तर के उत्पादन से होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कोयला एवं खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : वित्त वर्ष 2024-25 में देश में घरेलू कोयला उत्पादन 1047.52 मिलियन टन (मि.ट.) था। ओडिशा राज्य के जिलों और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उत्पादित कोयले की मात्रा निम्नानुसार है:

[आंकड़े मिलियन टन में]

राज्य	जिला	वित्तीय वर्ष 2024-25
ओडिशा	अंगुल	114.11
ओडिशा	झारसुगुडा	58.98
ओडिशा	संबलपुर	17.20
ओडिशा	सुंदरगढ़	79.07
मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	1.623

(ख) : वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, देश में कुल कोयला आयात 243.62 मि.ट. था, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 264.53 मि.ट. था, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान लगभग ₹60,681.67 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

विद्युत उत्पादन की लागत सम्मिश्रण के मामले में कोयले के मूल्य, मालभाड़ा प्रभारों और मिश्रित आयातित कोयले के मूल्य पर भी निर्भर करती है। आयातित कोयले की कीमत अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों, उत्पत्ति के स्रोत और समुद्री माल ढुलाई, बीमा आदि जैसे कारकों से जुड़ी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय मांग आपूर्ति परिदृश्य के साथ बदलती रहती हैं। इसके अलावा, प्रत्येक उत्पादन कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आयातित कोयले की खपत करती है। वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर, 2025) के दौरान, सम्मिश्रण के लिए आयात किया गया कोयला पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 12.0 मि.ट. की तुलना में 5.59 मि.ट. है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 54 प्रतिशत कम है, जिससे ओडिशा और मध्य प्रदेश में प्रचालित घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए निविष्टि ईंधन लागत कम हो गई है।

(ग) और (घ) : कोल सेतु विंडो के तहत सभी कोयला लिंकेज कार्यपद्धति और नीति दस्तावेज के अनुसार नीलामी-आधारित होंगे ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और सभी पात्र उपभोक्ताओं को समान अवसर प्रदान करके बाजार संचालित मूल्य खोज की सुविधा मिल सके। कोलसेतु के तहत लिंकेज नीलामी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एनआरएस लिंकेज नीलामी के आगामी 10वें दौर में आयोजित की जाएगी।

(ङ) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) खनन प्रचालनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उपायों के कार्यान्वयन के लिए कोयला खनन परियोजनाओं हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में विभिन्न शर्तें निर्धारित करता है। सभी खानों का प्रचालन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रचालन के लिए दी गई वैध सहमति से किया जाता है। समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत की जाती है, जिससे निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित होता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले, ओडिशा के क्योंझर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड के गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद क्षेत्रों सहित घनी आबादी वाले खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण को दूर करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

i. कोल बेड मीथेन (सीबीएम) और कोयला गैसीकरण के निष्कर्षण सहित स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
ii. फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित सड़क परिवहन को कम करना और मशीनीकृत कोयला लदान तथा परिवहन में वृद्धि।
iii. सतही खनिकों, एक्स-केंद्रित रिप्पर्स के माध्यम से विस्फोट-मुक्त खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाना।

iv. फिक्स्ड स्प्रिंकलर, मिस्ट स्प्रिंकलर, मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर, फॉग कैनन, रोबोटिक नोजल वाटर स्प्रेयर, मैकेनिकल रोड स्वीपर, व्हील वॉशिंग सिस्टम, विंड बैरियर आदि का उपयोग करके धूल प्रदूषण को कम करना।

v. धूल के नियंत्रण, कार्बन पृथक्करण, निम्नीकृत भूमि के पुनरूद्धार के लिए खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास व्यापक वृक्षारोपण।

vi. उचित स्थिरीकरण के बाद खनित क्षेत्रों में इको-पार्कों का विकास।

vii. प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा नियमित पारिस्थितिकीय मूल्यांकन/अध्ययन का उद्देश्य पारिस्थितिकी के और संवर्धन के लिए आधारभूत परिस्थितियां और कार्य योजना तैयार करना है।

viii. पारिस्थितिकी तंत्र के स्थिरीकरण और पुनरूद्धार के लिए अस्थायी डंप पर घास, बांस वृक्षारोपण जैसी हरियाली संबंधी गतिविधियां।

ix. धूल उत्पादन को कम करने के लिए समय-समय पर रखरखाव सहित कोयला परिवहन सड़कों की ब्लैक-टॉपिंग करना या पक्का रास्ता बनाना।

x. भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देना।

xi. वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सीएएक्यूएमएस) और ऑनलाइन पीएम10 विश्लेषक की स्थापना।

xii. खानों को वैज्ञानिक रूप से बंद करना।
